1. यदि पक्षकारान ने ब्राहमी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है, तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावे।
2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे।
3. यदि उपरोक्त बिन्दू सं0 1 एंव 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुए बट्टा नंबर डालकर प्रस्ताव भिजवावे।
4. राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर के आदेश क्रमांक रा.म./न्याय/स्था/प–51/2008/विविध/10548 दिनांक 5.10.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार तहसीलदार स्वंय मौके पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव तैयार करे। प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस जारी करे तथा प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर करावे। तत्पश्चात् बंटवारा प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में तामील शुदा नोटिस की एक प्रति सहित बंटवारा प्रस्ताव के साथ इस न्यायालय में भिजवावे।
5. पक्षकारान के मध्य रास्ते का प्रावधान को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार करे तथा रास्ते का अलग बट्टा नंबर डालकर नक्शा ट्रेस में दर्शाया जावे।

मौका कमिश्नर फीस रूपये 1000/– अंकेही रूपया एक हजार मात्र वादीगण अदा करेगें। पत्रावली इंतजार बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 11.03.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

11/3/25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान [illegible] आज अनुपस्थित रहा। पत्रावली इन्तजार बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 28/3/25 को पेश हो। P.O. [illegible]

28/3/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी पक्ष उपस्थित आये। वादी भगवान सिंह स्वयं उपस्थित आये। सुनवाई के दौरान वादी स्वयं ने एवं वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद को आगे चलाना नहीं चाहते। वादी ने आर्डर शीट पर हस्ताक्षर करवाये गये। जिसकी पहचान (एडवोकेट) [illegible] ने की। अतः वादी एवं वकील वादी की सहमति के आधार पर वाद वादी नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28/3/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

वादी वाद को आगे चलाना नहीं चाहते है।
[illegible]
(भगवान सिंह)

Identified
[illegible]
वकील

सहायक कलक्टर (मु.)सीकर

Scanned with CamScanner